

फा. सं. 550/02/2018-एलसी

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 5 फरवरी, 2020

सेवा में,


प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क
प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीमाशुल्क

महोदया/महोदय,

विषय: कोलकाता पोर्ट/एयरपोर्ट के लैंड कस्टम्स स्टेशन से होते हुए बंगलादेश से किसी तीसरे देश को कंटेनर या क्लोज्ड बॉडिड ट्रक्स में निर्यात कार्गो के ट्रांसशिपमेंट के पायलट संबंधी प्रक्रिया-की बाबत।

अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिपत्र सं. 42/2018-सीमाशुल्क, दिनांक 02 नवंबर, 2018, बोर्ड के द्वारा दिनांक 02.08.2019 को यथासंशोधित, का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि बोर्ड ने इस परिपत्र के अंतर्गत दी जा रही सुविधा को 30 जून, 2020 तक जारी रखने का निर्णय लिया है।

2. यदि इस परिपत्र के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई आ रही हो तो उसके बारे में बोर्ड को अवगत कराया जाए।


(डॉ. स्वाती भानवाला)
ओएसडी (सीमा शुल्क)